उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
परिपत्र संख्याः सी–03 / तक0प्रको0 / 2018–19 दिनॉक–05-04-2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत में वितरित ऋण की प्रथम किस्त के भुगतान के उपरान्त द्वितीय किश्त में ऋण वितरण करने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि कतिपय शाखाओं द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत प्रथम किश्त का भुगतान शाखा के लाभार्थियों को कर दिया गया है। परन्तु धन की उपलब्धता नही होने के कारण द्वितीय किश्त में ऋण वितरण नही हो पा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि समयान्तर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण नही होता है तो प्राप्त अनुदान की धनराशि नाबार्ड को वापस करनी पडेगी जिसमें वसूली से प्राप्त धनराशि से द्वितीय किस्त का भुगतान प्राथमिकता से कर दिया जाये,ताकि लाभार्थी का प्रोजेक्ट पूर्ण हो सके। चूंकि दुग्ध उत्पादन की निरन्तरता बनाये रखने हेतु ऋण को दो किश्तों में भुगतान किये जाने का प्राविधान है। अतः उक्त हेतु द्वितीय किश्त का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थी को कर दिया जाये।

उपरोक्तानुसार अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि नाबार्ड को किसी भी कारण से अनुदान की धनराशि वापस करनी पडेगी तो इसके लिए शाखा प्रबंधक स्वयं जिम्मेदार होगें।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित–

(1) समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(2) समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तरप्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3) उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)

circ
Bank information sending mail → Samradh K chauhan → file circular –03